



भारतीय मानक व्यूरो

उपभोक्ता मामले, स्थाया एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारत सरकार

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Government of India

हमारा संदर्भ/Our Ref: 5100223086

दिनांक/Dated: 12.06.2023

विषय: भारतीय मानक आईएस 8329:2000 के अनुसार बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस संख्या CM/L- 5100223086 की स्वीकृति।

Subject: Grant of BIS Product Certification License No. - CM/L-5100223086 as per IS 8329:2000

मेसर्स रश्मी मेटालिक्स लिमिटेड (डीप डिविजन)

विलेज गोपीनाथपुर, P.O. चंगौल,

खडगपुर

पश्चिम मेदिनीपुर - 721301

पश्चिम बंगाल

M/s Rashmi Metaliks Ltd(Dip Division)

Vill-Gopinathpur, PO-Changual,

Kharagpur

Paschim Medinipur-721301

West Bengal.

प्रिय महोदय/महोदया,

Dear Madam(s)/Sir(s),

आपके आवेदन के संदर्भ में, हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निम्नलिखित विषय को ध्यान में रखते हुए मानक मुहरांकन के उपयोग हेतु आप को प्रमाणन मुहरांकन लाइसेंस प्रदान किया गया है :

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks License has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings:

उत्पाद/Product: CENTRIFUGALLY CAST (SPUN) DUCTILE IRON PRESSURE PIPES FOR WATER, GAS AND SEWAGE

ग्रेड/Grade/वर्ग/Class/प्रकार/Type/विविधता/Variety: Centrifugally Cast (Spun) Ductile Iron Pressure Pipes For Water, Gas And Sewage, Class Designation K9, Pressure Rating PN 10 and PN 16, Type of Pipe 1. Flanged Pipes Welded, Nominal Size DN 80 mm up to and including DN 600 mm and 2. Flanged Pipes Screwed, Nominal Size DN 80 mm up to and including DN 450 mm.

भारतीय मानक 8329:2000 के अनुसार/As per IS 8329:2000

- भारतीय मानक के अनुरूप आप पूरे/पर्याप्त उत्पादन को चिह्नित करेंगे, इस स्पष्ट शर्त पर लाइसेंस प्रदान किया गया है।

The license is granted on the explicit condition that you will mark entire/substantial production which conforms to the Indian Standards.

2. इस लाइसेंस को प्रदान किया गया नंबर सीएम/एल- 5100223086 है, जो 08-06-2023 से ऑपरेटिव है और 07-06-2024 तक वैध है। लाइसेंस संख्या को भविष्य के पत्राचार हेतु निरपवाद रूप से संदर्भित किया जाएगा।

The number assigned to this License is CM/L- 5100223086 which has been made operative from 08-06-2023 and is valid up to 07-06-2024. The license number shall invariably be referred to in your future correspondence.

3. इसके अलावा, आपको प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप मानक मार्क के साथ लाइसेंस के दायरे के तहत पूरे उत्पादन को कवर करने के साथ बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा, आपको अपने परिसर में बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए और अपने वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से आपको बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस का भी उल्लेख करना चाहिए।

Further, you should cover the entire production under scope of license with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. In addition, you should display the BIS product certification license prominently at your premises and also mention the BIS product certification license held by you in your commercial advertisements.

4. भारतीय मानक व्यूरो (मूल्यांकन की अनुरूपता) विनियमन, 2018 के तहत अनुसूची 2 के स्कीम 1 के उप-नियमन (1) और (3) के पैरा 5 के अनुसार, वार्षिक लाइसेंस शुल्क 1000.00 है और बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम 2018 की स्कीम 1 के अनुबंध-1 के अनुसार मानक चिह्न के उपयोग हेतु आपके द्वारा मुहरांकन शुल्क लाइसेंस की प्रभावी तिथि 08-06-2023 से लाइसेंस की वैधता की अवधि तक के लिए अग्रिम रूप से देय है।

According to Sub-Paragraph (1) & (3) of Paragraph 5 of Scheme-I of Schedule-II under Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, the annual license fee of Rs.1000.00 and the marking fee as notified is payable by you with effect from 08-06-2023 for the period of validity of the license in advance.

5. मानक मार्क के साथ रहने या अपने उत्पाद को मुहरांकित न करने की स्थिति में बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियमन 2018 की स्कीम-1 के अनुसूची-1 में निर्धारित न्यूनतम मुहरांकन शुल्क आपके द्वारा देय है। लाइसेंस शुल्क के लिए प्राप्ति संख्या/रूपया AA51PC2023000173 दिनांक 11/05/2023 है और पहले ऑपरेटिव अवधि के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क पहले ही *जारी/संलग्न/अलग से भेजा गया है।

Minimum Marking fee stipulated under Scheme-I of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018 is payable by you regardless of the fact whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. Our Receipt No. AA51PC2023000173 dated 11/05/2023 for the license fee and the minimum marking fee for the first operative period is already *issued/enclosed/being sent separately.

6. यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक वर्ष के नवीकरण के ऊपर लागू होगा। मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर से गणना की गई वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो अधिक होगा, नवीनीकरण के समय आपके द्वारा देय होगा।

This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher, shall be payable by you at the time of renewal

7. इकाई दर के आधार पर चिह्नित मात्रा, गणना और अंकन शुल्क के संग्रह की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, शुल्क की गणना पहले नवीकरण के समय लाइसेंस के संचालन के पहले नौ महीनों के दौरान चिह्नित उत्पादन पर की जाएगी, और बारह महीनों के दौरान चिह्नित उत्पादन पर पिछले ऑपरेटिव वर्ष के अंतिम तीन महीने और वर्तमान ऑपरेटिव वर्ष के पहले नौ महीने, दूसरे और बाद के नवीकरण के समय शामिल हैं। यदि लाइसेंस समाप्त हो जाता है, तो देय मुहरांक शुल्क की गणना के लिए समाप्ति तिथि तक चिह्नित पूरे उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा।

With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the license at the time of first renewal, and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year, at the time of the second and subsequent renewals. In case the license expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

8. आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण (एसआईटी) एवं निरीक्षण की योजना और बीआईएस द्वारा सहमत या बीआईएस* द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण और निरीक्षण योजना को आपके संस्था द्वारा कड़ाई से और पूरी तरह से लागू करना होगा। योजना के संचालन का यह पर्यवेक्षण आपके संस्था में गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। कृपया हमें उस व्यक्ति का नाम और पदनाम सूचित करें, जिसे योजना के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस संबंध में भविष्य में कोई भी परिवर्तन होने पर आपको हमें इसकी सूचना देनी होगी।

The Scheme of Inspection and Testing (SIT) submitted by you and agreed by BIS or the Scheme of Inspection and Testing as specified by BIS* will have to be implemented by your organization strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

9. हम मानक मार्क के मुख्य आयामों को स्पष्ट करने वाली एक शीट संलग्न कर रहे हैं ताकि आप किसी भी आकार में उपरोक्त उत्पाद का फोटोग्राफिक बदल कर चिह्नित करने के लिए मानक मार्क का डिजाइन तैयार कर सकेंगे। यह बनाए गए विभिन्न आयामों के सापेक्ष अनुपात को सुनिश्चित करेगा। जहां तक संभव हो मुख्य आयामों का उपयोग किया जाए।

We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.

10. अपने उत्पाद के मुहरांकन के प्रारंभ होने पर जिसके लिए आपको लाइसेंस प्राप्त है, आप अपने लाइसेंस की वैधता के दौरान ही विभिन्न मीडिया में मानक मार्क के साथ अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं। लेटरहेड और प्रचार साहित्य पर मानक मार्क के उपयोग की अनुमति केवल आपके आश्वासन की प्राप्ति पर दी जाएगी किंतु आपके लाइसेंस को रद्द करने या समाप्त होने की स्थिति में आपके लेटरहेड, प्रचार साहित्य आदि पर मानक चिह्न नष्ट/काट दिया जाएगा।

On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your license. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your license, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

11. यह लाइसेंस विलेज गोपीनाथपुर, P.O. चंगौल, खड़गपुर, पश्चिम मेदिनीपुर - 721301, पश्चिम बंगाल में स्थित आपके निर्माण परिसर के लिए दिया गया है। लाइसेंस के तहत विशेषाधिकारों का प्रयोग किसी अन्य फर्म कंपनी/कारखाना आदि द्वारा नहीं किया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त परिसर से किसी अन्य स्थान पर विनिर्माण और परीक्षण उपकरण स्थानांतरित करने की स्थिति में यह लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं है, मानक चिह्न का उपयोग तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि नए परिसर का निरीक्षण नहीं किया जाता है और बीआईएस द्वारा वहाँ विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं के संबंध में संतोषजनक नहीं पाया जाता है। नए परिसर का पता लाइसेंस में पृष्ठांकित है।

This license is granted for your manufacturing premises situated at Vill-Gopinathpur, PO-Changual, Kharagpur, Paschim Medinipur-721301 West Bengal. Privileges under the license shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This license is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by BIS in respect of manufacturing and testing facilities available there and the address of the new premises is endorsed in the licence.

12. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप स्वतः और अपने संगठन के अन्य कर्मचारियों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और किसी भी जानबूझकर, गैर-इरादतन या गैर-पालन के मामले में विशेष रूप से निहितार्थों के तहत वहाँ बनाए गए नियम और विनियमों के बारे में जागरूक करें।

You are also advised to make yourself and other employees in your organization aware about the provisions of the BIS Act, 2016 and Rules and Regulations framed thereunder especially the implications in case of any intentional or unintentional non-adherence.

13. यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह लाइसेंस विकल्प 2 के तहत दिया जाता है, जो इस शर्त के अधीन है कि यदि लाइसेंस प्रदान करने से पहले सत्यापन यात्रा के दौरान बीआईएस द्वारा लिए गए नमूने (31/05/2023) प्रासंगिक भारतीय मानक (किसी भी आवश्यकता में) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं, तो लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा और यदि सुधारात्मक कार्रवाई के बाद एक महीने के भीतर नया नमूना पेश नहीं किया जाता है या नया नमूना प्रासंगिक भारतीय मानक की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है, तो किसी भी आवश्यकता में, लाइसेंस रद्द करने के लिए संसाधित किया जाएगा (विकल्प 2 के तहत जीओएल के लिए लागू)।

It may be noted that this license is granted under option 2 which is subject to the condition that if samples drawn on (31/05/2023) by BIS during the verification visit before grant of license, fail to conform to the requirements of relevant Indian Standard (in any requirement), the license shall be put under suspension, and in case fresh sample after corrective action is not offered within one month or fresh sample fails to conform to the requirement of relevant Indian Standard, in any requirement, the license shall be processed for cancellation (Applicable for GoL under option 2).

संधन्यवाद/Thanking you,


(दुष्यंत प्रजापती)

(Dushyant Prajapati)

वैज्ञानिक-डी एवं प्रमुख(केकेबीओ-1)

Scientist-D & H(KKBO-1)

संलग्न/Encl: यथोक्त/As above

**भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञा
Licence for the use of STANDARD MARK**

लाइसेस सं. सीएम/एल- 5100223086

Licence No. CM/L – 5100223086

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स रश्मी मेटालिक्स लिमिटेड (डीप डिविजन)

विलेज गोपीनाथपुर, P.O. चंगौल,

खडगपुर

पश्चिम मेदिनीपुर - 721301

पश्चिम बंगाल

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञासिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह का इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञा प्रदान करती है। इन उत्पादित किस्मों पर चिन्ह का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबंध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (13 of 2016) the BUREAU hereby grants to

M/s Rashmi Metaliks Ltd(Dip Division)

Vill-Gopinathpur, PO-Changual,

Kharagpur

Paschim Medinipur-721301

West Bengal.

(hereinafter called 'the Licensee) this Licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended.

2. इस अनुज्ञा में अनुबंध अनुज्ञा की शर्तों के लिए अनुज्ञासिधारी उत्तरदायि हैं। यह अनुज्ञा पहली अनुसूची में यथा उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-I में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I.


अनुसूची
SCHEDULE

अनुज्ञासि सं सीएम/एल - 5100223086
Licence No.CM/L- 5100223086

नाम कारखाने का पता	मेसर्स रश्मी मेटालिक्स लिमिटेड (डीप डिविजन) विलेज गोपीनाथपुर, P.O. चंगौल, खड़गपुर पश्चिम मेदिनीपुर - 721301 पश्चिम बंगाल
विधिमान्यता Name Factory Address	08-06-2023 से 07-06-2024 तक M/s Rashmi Metaliks Ltd(Dip Division) Vill-Gopinathpur, PO-Changual, Kharagpur Paschim Medinipur-721301 West Bengal.
Validity from	08-06-2023 to 07-06-2024

मानक चिन्ह Standard Mark	भारतीय मानक Indian Standard	लाइसेंस का विषय क्षेत्र Scope of Licence	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 8329 	आई एस 8329:2000 IS 8329:2000 CENTRIFUGALLY CAST (SPUN) DUCTILE IRON PRESSURE PIPES FOR WATER, GAS AND SEWAGE	Centrifugally Cast (Spun) Ductile Iron Pressure Pipes For Water, Gas And Sewage, Class Designation K9, Pressure Rating PN 10 and PN 16, Type of Pipe 1. Flanged Pipes Welded, Nominal Size DN 80 mm up to and including DN 600 mm and 2. Flanged Pipes Screwed, Nominal Size DN 80 mm up to and including DN 450 mm.	Rs.17.3 प्रति इकाइयों के दर से एक बर्ष के प्रचालन अवधि नके दौरान रु. 136000/- न्यूनतम मुहरांकन सहित। Rs. 17.3 per unit for all units with a minimum marking fee of Rs. 136000 for Large Scale Enterprises units. इकाई- 1 टन Unit – ONE TONNE एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अधिक में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रनीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज बर्ष दो हजार तेर्स जून माह की बारह तारीख को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया। |
Signed, Sealed and Dated this twelfth day of June of Two Thousand Twenty Three.

कृते: भारतीय मानक व्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Dushyant Prajapati)
Scientist-D & Head

Annexure

(License No.CM/L- 5100223086)

Conditions of the license

- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the license.
- (2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the license.
- (5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.
- (6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the license.
- (7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which license is granted, including labeling and marking requirements.
- (8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises and such assistance shall include sending samples which have been marked and sealed by the certification officer to the designated office or laboratory and ensuring that such sample is dispatched to the designated office or laboratory within seven days from the date of inspection, audit or evaluation.
- (10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.
- (11) If the license is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (12) The license shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.
- (13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.
- (14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of license by giving a notice of not less than one month to the licensee.

उपबंध

(अनुजप्ति स. सीएम/ एल - 5100223086)

अनुजप्ति की शर्तें

- (1) मानक चिन्ह का डिजाइन अनुजप्ति में दी गई गई प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।
- (2) मानक चिह्न के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक व्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हो।
- (3) अनुजप्तिधारी उस संबंध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।
- (4) अनुजप्तिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा, जो गैर-अनुरूप अथवा अनुप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर है।
- (5) जिस माल और वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह का उपयोग किया गया है अगर वे संबद्ध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो व्यूरो अनुजप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को वापिस लेने का निर्देश दे सकता है।
- (6) अनुजप्ति के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबंध माल वस्तु प्रक्रिया उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (7) अनुजप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपांधों का पालन करना होगा, जिसके अंतर्गत उसे अनुजप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिन्हाकान अपेक्षाएं भी शामिल हैं।
- (8) अनुजप्तिधारी व्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।
- (9) अनुजप्तिधारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने के संबंध में सभी सहायता प्रदान करेगा और इस तरह की सहायता में ऐसे नमूने भेजना शामिल होगा, जिन्हें प्रमाणन अधिकारी द्वारा नामित कार्यालय या प्रयोगशाला में चिह्नित और सील कर दिया गया है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा नमूना निरीक्षण, लेखा परीक्षा या मूल्यांकन की तारीख से सात दिनों के भीतर नामित कार्यालय या प्रयोगशाला को भेजा गया है।
- (10) अनुजप्तिधारी उत्पाद और मानक चिन्ह के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित जानकारी जब अपेक्षा व्यूरो को प्रदान करेगा।
- (11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुजप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुजप्तिधारी को उन परेषिती, वितरकों, व्यौहारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी

होगी, जिनको मानक चिन्ह वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गई है।

(12) ब्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुजप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।

(13) मानक चिन्ह वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर ब्यूरो अनुजप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की

मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।

(14) अनुप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर ब्यूरो, अनुजप्ति की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

ANNEX 5
 (Clause 2.6.2 & 2.9.3)
PREFERRED DESIGNS OF MONOGRAM FOR STANDARD MARK




FIG. 1 MONOGRAM FOR STANDARD MARK

The monogram of the Standard Mark consists of the pictorial representation, drawn in the exact style as indicated in Fig. 1 and in relative proportions as given in Table I.

Table I Preferred Dimensions of Monogram
 All dimensions in millimetres

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm